न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018/00064(13/2018) दर्ज तिथिः–27.02.2018

1. सिणगारी पुत्री जोगाराम
2. भंवरी पुत्री जोगाराम
3. सीरू पत्नी जोगाराम फौत के कायम मुकाम (वादी संख्या 01, 02 पूर्व से ही रेकर्ड पर है) जाति जाट निवासी नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..........................वादीगण

बनाम

1. मुकना पुत्र बांका
2. खींयाराम पुत्र मुकना
3. भींयाराम पुत्र मुकना
   जाति जाट निवासी नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..........................असल प्रतिवादीगण

4. तहसीलदार गुड़ामालानी

................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीः–श्री एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–
   - कि वादी संख्या 01, 02 प्रतिवादी संख्या 01 की पौत्रियां एवं वादी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रवधू है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 सगे भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है। जो संयुक्त परिवार है जिसके पूर्वज बांकाराम है एवं हिन्दू विधि से शासित होते है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

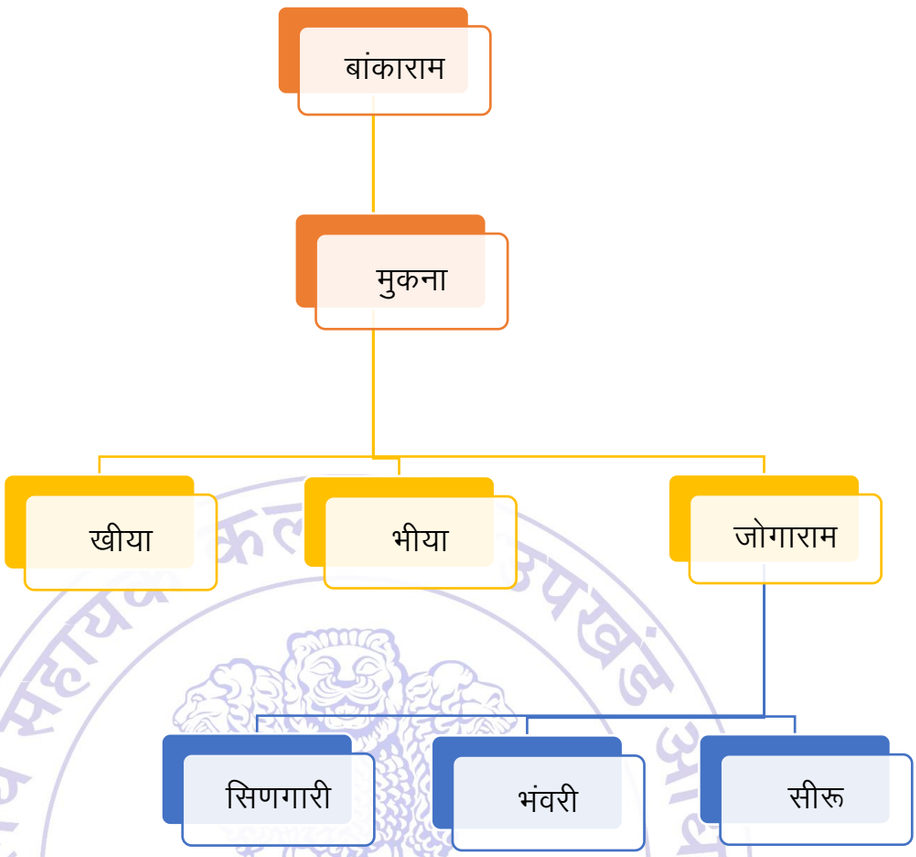

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी खसरा संख्या 163/3 रकबा 110–01 बीघा व खसरा संख्या 191 रकबा 03 बिस्वा मौजा नेहरो का वास पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में दर्ज रिकॉर्ड है।
- कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बांकाराम के नाम से भू–प्रबंधन हुआ। बांकाराम के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी विरासत में मुकनाराम को प्राप्त हुई। वादी संख्या 01, 02 के पिता व वादी संख्या 03 के पति जोगाराम का स्वर्गवास हो गया है। जोगाराम प्रतिवादी संख्या 02, 03 के सगे भाई और प्रतिवादी संख्या 01 का पुत्र है।
- कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की पौत्री एवं पुत्रवधु होने से वादग्रस्त आराजी में काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 163/3 रकबा 110–01 बीघा व खसरा संख्या 191 रकबा 03 बिस्वा मौजा नेहरो का वास में वादीगण का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03 का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है। वादीगण का अपने हक हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है जिसमें वादीगण कृषि कार्य करते है एवं उसमें रहवासी ढाणी, मवेशी के बाड़े चारबाड़े बने हुए है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के प्रभाव में आकर वादीगण को अपने हक हिस्से की जमीन से महरूम करना चाहता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प. 5(1)राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.09.2007 द्वारा स्पष्ट किया है कि पुत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

को पिता की पैतृक आराजी पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतक संपत्ति में पुत्र/पुत्री को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर जोत का विभाजन करा सकते है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

- कि वादीगण के वादग्रस्त आराजी के 1/4 में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार दखलअंदाजी, हस्तक्षेप नही करने एवं किसी अजनबी पक्षकार को अंतरण नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र अनुसार निम्न अनुतोष निवेदित हैः–
    1. *उक्त आराजी वादीगण के पिता/पति जोगाराम की विधिक वारिसान होने के आधार पर 1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।*
    2. *वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।*
    3. *अन्य अनुतोष।*

3. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
नक्शा	खसरा संख्या 191 एवं 163/3 मौजा नेहरो का वास	प्रदर्श–01
जामाबंदी	खाता संख्या 24 मौजा नेहरो का वास संवत 2072–2075	प्रदर्श–02
जमाबंदी	खाता संख्या 24 मौजा नेहरो का वास प्रथम जमाबंदी	प्रदर्श–03
जमाबंदी	खाता संख्या 100 मौजा रावली नाडी संवत 2060–2063	प्रदर्श–04
आधार कार्ड	सीणगारी पुत्री जोगाराम	प्रदर्श–05ए
मतदाता पहचान पत्र	हीरू पत्नी जोगाराम	प्रदर्श–06ए
आधार कार्ड	शेरू देवी पत्नी मगाराम	प्रदर्श–07ए
अंकतालिका	सिणगारी पुत्री जोगाराम	प्रदर्श–08ए
अंकतालिका	सिणगारी पुत्री जोगाराम	प्रदर्श–09ए
पेंशन प्रमाण पत्र	सीरूदेवी पत्नी जोगाराम	प्रदर्श–10ए

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:04:07 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सिणगारी पुत्री जोगाराम पत्नी दलाराम	जाट	नेहरों का वास हाल निवासी केरला पाना	पी0डब्ल्यू0–1
भंवरी पुत्री जोगाराम पत्नी राणाराम	जाट	नेहरों का वास हाल निवासी केरला पाना	पी0डब्ल्यू0–2
हीराराम पुत्र मगाराम	जाट	सड़ेचा	पी0डब्ल्यू0–03

5. प्रकरण में सिणगारी पुत्री जोगाराम पत्नी दलाराम पी.डब्ल्यू.–01, भंवरी पुत्री जोगारा पत्नी राणाराम पी0डब्ल्यू0–2, हीराराम पुत्र मगाराम पी0डब्ल्यू0–3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादी संख्या 01, 02 प्रतिवादी संख्या 01 की पौत्रियां एवं वादी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रवधू है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 सगे भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है। जो संयुक्त परिवार है जिसके पूर्वज बांकाराम है एवं हिन्दू विधि से शासित होते है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी खसरा संख्या 163/3 रकबा 110–01 बीघा व खसरा संख्या 191 रकबा 03 बिस्वा मौजा नेहरो का वास पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी में दर्ज रिकॉर्ड है।
- कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बांकाराम के नाम से भू–प्रबंधन हुआ। बांकाराम के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी विरासत में मुकनाराम को प्राप्त हुई। वादी संख्या 01, 02 के पिता व वादी संख्या 03 के पति जोगाराम का स्वर्गवास हो गया है। जोगाराम प्रतिवादी संख्या 02, 03 के सगे भाई और प्रतिवादी संख्या 01 का पुत्र है।
- कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की पौत्री एवं पुत्रवधु होने से वादग्रस्त आराजी में काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 163/3 रकबा 110–01 बीघा व खसरा संख्या 191 रकबा 03 बिस्वा मौजा नेहरो का वास में वादीगण का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03 का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है। वादीगण का अपने हक हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है जिसमें वादीगण कृषि कार्य करते है एवं उसमें रहवासी ढाणी, मवेशी के बाड़े चारबाड़े बने हुए है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के प्रभाव में आकर वादीगण को अपने हक हिस्से की जमीन से महरूम करना चाहता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प. 5(1)राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.09.2007 द्वारा स्पष्ट किया है कि पुत्र को पिता की पैतृक आराजी पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतक संपत्ति में पुत्र/पुत्री को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:04:07 IST
Reason: SelfAttested

जीवनकाल में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर जोत का विभाजन करा सकते है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

- कि वादीगण के वादग्रस्त आराजी के 1/4 में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार दखलअंदाजी, हस्तक्षेप नही करने एवं किसी अजनबी पक्षकार को अंतरण नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- साक्ष्य के समर्थन में पैरा संख्या 3 में अंकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। तत्पश्चात पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बांकाराम के नाम से भू–प्रबंधन हुआ। बांकाराम के फौत होने पर मुकनाराम का नाम विरासत में दर्ज किया गया। मुकनाराम के तीन पुत्र खीया, भीया एवं जोगाराम है। जोगाराम का स्वर्गवास हो चुका है। वादी संख्या 03 सीरू जो जोगाराम की पत्नी है जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण जोगाराम की विधिक पुत्रियां एवं मुकना की पौत्रियां होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–06 व 08 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में खातेदार घोषित किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जावे।

7. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 निम्न प्रकार हैः–

   1. उक्त आराजी वादीगण के पिता/पति जोगाराम की विधिक वारिसान होने के आधार पर 1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

8. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अनुतोष संख्या 01 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–08 से संबंधित है। प्रकरण मे वादीगण का अभिकथन है कि वादीगण जोगाराम की पुत्री एवं मुकना की पौत्रियां है। प्रतिवादी संख्या 02–03 के पिता तथा वादीगण के पिता स्व0 जोगाराम मुकना वल्द बांका के विधिक वारिस है। प्रकरण मे दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण जोगाराम की पुत्री व पत्नी है। इस प्रकार प्रकरण में पत्रावली व दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुकना वल्द बांका के तीन पुत्र जोगाराम वल्द मुकनाराम, खींयाराम वल्द मुकनाराम व भींयाराम वल्द मुकनाराम है। साथ ही वादीगण जोगाराम वल्द मुकनाराम की फौत हो जाने के कारण विधिक वारिसान है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***8. General rules of succession in the case of males.***—
> *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

10. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—***
> *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;
(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.

11. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस एक साथ समान भाग प्राप्त करते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

12. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

13. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

Married Male - Hindu, Budhist, Jain, Sikh (Class I Heirs)

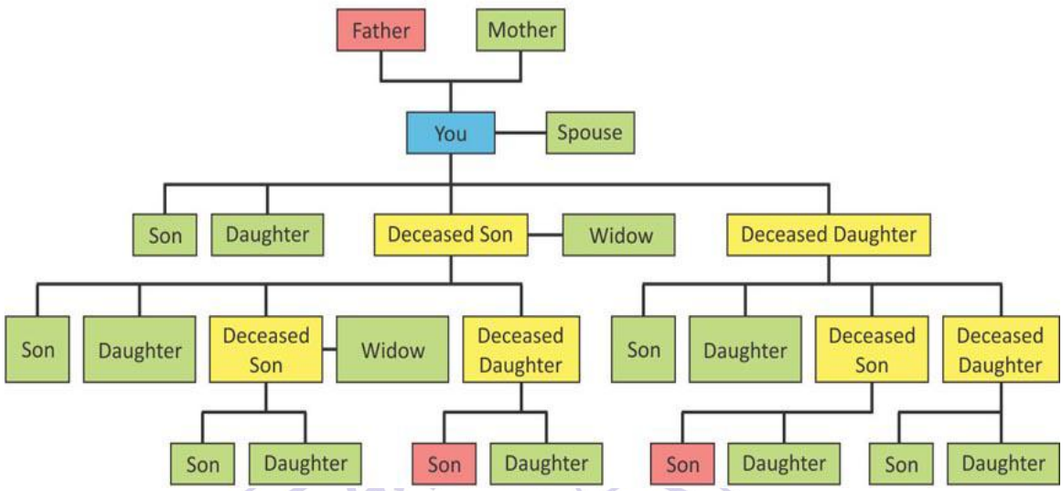

14. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

15. यहा उल्लेखनीय है विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत संपति में अधिकार न्यागत होते है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची में सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के वारिसों में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत संपति न्यागत होती है। अगर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के कोई भी वारिस नहीं होने की स्थिति में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची में द्वितीय श्रेणी के वारिसों में किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत संपति न्यागत होती है। प्रकरण में पत्रावली व दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुकना वल्द बांका के तीन पुत्र जोगाराम वल्द मुकनाराम, खींयाराम वल्द मुकनाराम व भींयाराम वल्द मुकनाराम है। साथ ही वादीगण जोगाराम वल्द मुकनाराम की फौत हो जाने के कारण विधिक वारिसान है।

16. उल्लेखनीय है कि किसी हिन्दू के निर्वसीयती फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसों में बराबर हिस्से में हिन्दू उतराधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत विरासत में मृतक निर्वसीयती हिन्दू की संपति न्यागत होती है। इस आधार पर प्रकरण में वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के साथ मुकना वल्द बांका की हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची में प्रथम श्रेणी की वारिस है।

17. अब प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> **6. Devolution of interest in coparcenary property.—**
> *(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—*
> *(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;*
> *(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;*
> *(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:*
> *Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.*

18. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व प्राप्त होकर सहदायिकी का दर्जा प्राप्त करने के प्रावधान है। साथ ही अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में कोई सहदायक कभी भी अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवा सकता है। उक्त विधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 की संतान हैं। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीसंख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 उक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित पैतृक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:04:07 IST
Reason: SelfAttested

व सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक हैं। अतः वादीगण उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण का भी मुकना वल्द बांका की संपति में मुकना के समान हक निहित है। इस प्रकार वादीगण का मुतनाजा आराजी में संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 को वादी साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादी के पक्ष मे स्वीकार की जाती है।

19. प्रकरण में अब अनुतोष संख्या 02 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे अनुतोष संख्या 02 निम्न प्रकार हैः—

    2. आया वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

20. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अनुतोष संख्या 02 खाता स्थाई निषेद्वआज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

21. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested

2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

22. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादी का अनुतोष संख्या 01 स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादी की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

23. निष्कर्षतः प्रकरण में वादीगण का मुतनाजा आराजी में संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित होने को उचित एवं विधिसंगत मानना न्यायालय उचित समझता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण बाबत् इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर वादीगण को मुतनाजा आराजी पर संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे राजस्व इन्द्राज संशोधित करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 26.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:04:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018/00064(13/2018) दर्ज तिथिः–27.02.2018

1. सिणगारी पुत्री जोगाराम
2. भंवरी पुत्री जोगाराम
3. सीरू पत्नी जोगाराम फौत के कायम मुकाम (वादी संख्या 01, 02 पूर्व से ही रेकर्ड पर है) जाति जाट निवासी नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. मुकना पुत्र बांका
2. खींयाराम पुत्र मुकना
3. भींयाराम पुत्र मुकना
   जाति जाट निवासी नेहरो का वास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

4. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीः–श्री एकतरफा
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण बाबत् इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर वादीगण को मुतनाजा आराजी पर संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे राजस्व इन्द्राज संशोधित करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:04:07 IST
Reason: SelfAttested